web-site

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में,

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
श्रम विभाग, हरियाणा राज्य **(श्रम शाखा)।**

क्रमांकः स्था0/ 14347-400
दिनांकः 24/05/24

**विषयः–** **श्रम निरीक्षकों की ऑन–लाईन स्थानातरण नीति के संबंध में।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. विषयोक्त मामलें में आपको सूचित किया जाता है कि जिन–2 जिलों में उप श्रम आयुक्त के अधीन, सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम निरीक्षकों के पद सृजित है तथा उप श्रम आयुक्त को आहरण एवं सवितरण अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई है, वहां पर श्रम निरीक्षकों को सहायक श्रम आयुक्त के अधीन दिखाया गया है, परंतु ऑन–लाईन स्थानातंरण नीति में यह व्यवस्था की जानी संभव नहीं है।

3. इसलिए, ऑन–लाईन स्थानातंरण नीति को लागु करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सहायक श्रम आयुक्त के स्थान पर श्रम निरीक्षकों को सीधे उप श्रम आयुक्त (डी0डी0ओ0) के अधीन दिखाया जाए, उदाहरनतः जैसे कि किसी जिलें में एक उप श्रम आयुक्त, पांच सहायक श्रम आयुक्त एवं 15 श्रम निरीक्षकों के पद सृजित है। वहां पर श्रम निरीक्षकों को सीधे उप श्रम आयुक्त के अधीन श्रम निरीक्षक–1 से श्रम निरीक्षक–15 दिखाया गया है, परंतु यह श्रम निरीक्षक व्यावहारिक तौर पर संबंधित सहायक श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करेगें। उदहारणतः श्रम निरीक्षक–1 से श्रम निरीक्षक–3 सहायक श्रम आयुक्त–1 के अधीन, श्रम निरीक्षक सर्कल–4 से श्रम निरीक्षक–6 सहायक श्रम आयुक्त–2 के अधीन कार्य करेगें, जिसका वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैः–

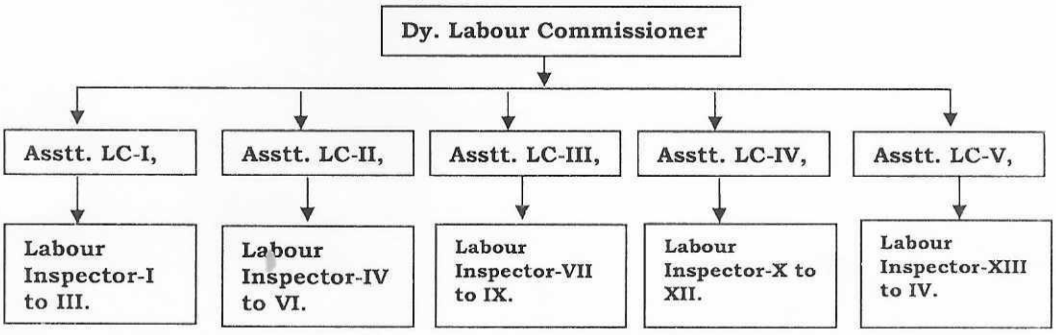


श्रम निरीक्षकों की ऑन–लाईन स्थानांतरण नीति के संबंध में यह आपके सूचनार्थ एवं ध्यानार्थ प्रस्तुत है।

सहायक श्रम आयुक्त (स्था0),
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।